



सीएसआईआर भारतीय समवेत औषध संस्थान-जम्मू
CSIR-INDIAN INSTITUTE OF INTEGRATIVE MEDICINE, JAMMU

संख्या/No. ITeG-11/189/2026-ADMIN-IIIM

दिनांक/Dated: 23.07.2026

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय:- महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निर्देशों के अनुपालन तथा आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (PoSH)' विषयक ऑनलाइन पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाने के संबंध में।

Subject: Immediate compliance with the directions of the Parliamentary Standing Committee on the Empowerment of Women – Measures under the PoSH Act and mandatory completion of the online course on the Prevention of Sexual Harassment (PoSH) through the iGOT Karmayogi Portal – reg.

With reference to CSIR Headquarters Office Memorandum No. 7-02(Reports)/2023-HR-III dated 27.01.2026 regarding the mandatory completion of the online course on Prevention of Sexual Harassment (PoSH) through the iGOT Karmayogi Portal, all employees of CSIR-IIIM, Jammu, who have not yet completed the said course, are hereby directed to complete it without fail.

उपरोक्त विषयक सीएसआईआर मुख्यालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7-02(Reports)/2023-HR-III दिनांक 27.01.2026 के संदर्भ में, आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (PoSH)' विषयक ऑनलाइन पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाने के संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि सीएसआईआर-भारतीय समेकित औषधि संस्थान (CSIR-IIIM), जम्मू के सभी कर्मचारी, जिन्होंने उक्त पाठ्यक्रम अभी तक पूर्ण नहीं किया है, उसे अनिवार्य रूप से पूर्ण करें।

Completion of the online course titled "Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace", available on the iGOT Karmayogi Portal (developed by the Institute of Secretariat Training and Management), by 29.07.2026 is mandatory. The course forms a part of the Government of India's initiative to promote a safe, respectful and inclusive workplace in accordance with the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

iGOT Karmayogi Portal उपलब्ध 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace)' विषयक ऑनलाइन पाठ्यक्रम (Institute of Secretariat Training and Management द्वारा विकसित) का दिनांक 29.07.2026 तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। यह पाठ्यक्रम 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिकार) अधिनियम, 2013' के प्रावधानों के अनुरूप सुरक्षित, सम्मानजनक एवं समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करने की भारत सरकार की पहल का एक महत्वपूर्ण भाग है।

All Heads of Divisions/Sections shall ensure that every employee under their administrative control completes the course within the stipulated timeline.

सभी विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर उक्त पाठ्यक्रम पूर्ण करें।

All the employees shall submit the Course Completion Certificate to the Establishment Section immediately after successful completion of the course and, in any case, not later than 30.07.2026, so that the compliance report may be submitted to CSIR Hqrs within the prescribed timeline.



संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत उसका पूर्णता प्रमाण-पत्र (Course Completion Certificate) स्थापना अनुभाग को तत्काल तथा किसी भी स्थिति में दिनांक 30.07.2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित समय-सीमा के भीतर सीएसआईआर मुख्यालय को प्रेषित किया जा सके।

Non-compliance with the above instructions shall be viewed seriously and may invite appropriate action in accordance with the instructions issued by CSIR Headquarters from time to time.

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न किए जाने को गंभीरता से लिया जाएगा तथा ऐसे मामलों में सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है।

यह निदेशक, सीएसआईआर-भारतीय समेकित औषधि संस्थान, जम्मू के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Director, CSIR-IIIM, Jammu

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration

प्रतिलिपि: / Copy to:

1. निदेशक के निजी सचिव / PS to Director.
2. प्रशासन नियंत्रक के निजी सहायक/ PA to CoA.
3. सीएसआईआर-भारतीय समवेत औषध संस्थान जम्मू के सभी वैज्ञानिकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को।
All Scientists /Officers/ Officials of CSIR-IIIM, Jammu.
4. आईटी प्रकोष्ठ -IT Cell -
संस्थान के इंटरनेट/वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
for uploading on the Institute Intranet/Website.
5. सूचना पट्ट।
Notice Board.
6. कार्यालय प्रति।
Office Copy.